हिमाचल प्रदेश राज्य योजना बोर्ड की 15 फरवरी, 2016 को माननीय मुख्य मंत्री, हिमाचल प्रदेश की अध्यक्षता में सचिवालय कॉन्फ्रेंस हाल में आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण

बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की सूची परिशिष्ट 'ए' पर संलग्न है।

1. हिमाचल प्रदेश राज्य योजना बोर्ड की बैठक दिनांक 15 फरवरी, 2016 को प्रातः 11 बजे हिमाचल प्रदेश सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हाल में माननीय मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में वर्ष 2016–17 की वार्षिक योजना को अनुमोदित करने के लिए आयोजित की गई।

2. सर्वप्रथम अतिरिक्त मुख्य सचिव (योजना) डॉ. श्रीकान्त बाल्दी ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष एवं उपस्थित मन्त्रीमण्डल के माननीय सदस्यों तथा राज्य योजना बोर्ड के अन्य माननीय सदस्यों का स्वागत करते हुए सदन को अवगत करवाया कि आज की इस बैठक का आयोजन प्रस्तावित वार्षिक योजना 2016–17 पर विस्तृत चर्चा एवं नियोजन से सम्बन्धित मुद्दों पर माननीय सदस्यों के विचार एवं सुझाव प्राप्त करने के लिए किया गया है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष योजना आयोग के बन्द होने से वार्षिक योजना का दस्तावेज अब केन्द्र सरकार को नहीं भेजा जाता है। वार्षिक योजना तैयार करना राज्य का अपना निर्णय है। इसी क्रम में बैठक में वार्षिक योजना 2016–17 का प्रारूप राज्य योजना बोर्ड के समक्ष अनुमोदन हेतु रखा गया है।

3. माननीय उपाध्यक्ष, राज्य योजना बोर्ड, श्री गंगू राम मुसाफिर ने माननीय मुख्यमंत्री सहित सभी उपस्थित माननीय मंत्रियों एवं अन्य गैर सरकारी सदस्यों का स्वागत करते हुए सदन को अवगत करवाया कि राज्य योजना बोर्ड की बैठक का आयोजन प्रस्तावित वार्षिक योजना 2016–17 पर विस्तृत चर्चा तथा नियोजन से सम्बन्धित मुद्दों पर माननीय सदस्यों के विचार एवं सुझाव प्राप्त करने के आश्य से किया गया है। उन्होंने समस्त सदस्यों से अनुरोध किया कि वे प्रदेश के

विकास को और अधिक समावेशी तथा इसे और अधिक गति तथा स्थायित्व प्रदान करने के लिए भी अपने बहुमूल्य सुझाव बैठक के दौरान रखें। उन्होंने माननीय मुख्य मंत्री से अनुरोध किया कि वे बैठक में उपस्थित सभी माननीय सदस्यों का मार्गदर्शन करने हेतु बैठक को सम्बोधित करने की कृपा करें।

4. माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बैठक में भाग लेने आए सभी माननीय सदस्यों एवं प्रतिभागियों का स्वागत किया तथा आश्वस्त किया कि वार्षिक योजना 2016–17 के परिव्ययों व कार्यक्रमों को सभी बुद्धिजीवियों से विचारविमर्श के पश्चात ही अन्तिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सीमित वित्तीय संसाधनों के बावजूद भी राज्य सरकार प्रदेश के विकास के लिए वचनबद्ध है। सरकार द्वारा वार्षिक योजना 2016–17 के आकार में चालू वित्तीय वर्ष की तुलना में 400 करोड़ रूपये की वृद्धि की गई है।

5. वार्षिक योजना 2016–17 के लिए प्रस्तावित 5,200 करोड़ रूपये के परिव्ययों में से अनुसूचित जाति उप–योजना के लिए 1,310 करोड़ रूपये, जनजातीय उप–योजना के लिए 468 करोड़ रूपये तथा पिछड़ा क्षेत्र उप–योजना के लिए 65 करोड़ रूपये का परिव्यय प्रस्तावित है। सरकार ने सामाजिक सेवा शीर्ष को वर्ष 2016–17 में प्रथम प्राथमिकता प्रदान की है तथा इसके लिए 1,992 करोड़ रूपये आबंटित किए गए हैं जो कुल योजना परिव्ययों का 38.31 प्रतिशत है। सरकार द्वारा दूसरी प्राथमिकता सड़क परिवहन एवं संचार को दी गई है जिसके लिए 979 करोड़ रूपये का निवेश किया जाएगा जो कि कुल योजना परिव्ययों का 18.83 प्रतिशत है। ऊर्जा का दोहन सरकार की विकास नीति का महत्वपूर्ण अंग है तथा इस क्षेत्र के लिए 683 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है। बागवानी एवं कृषि प्रदेश की अर्थव्यवस्था का महत्वनूर्ण अंग है। अतः इस क्षेत्र के लिए 586 करोड़ रूपये का निवेश किया जाएगा जो कि कुल योजना आकार का 11. 26 प्रतिशत है।

6. माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा 15 से 45 वर्ष की आयु वर्ग के युवाओं को कौशल विकास के द्वारा रोजगार से जोड़ने हेतु भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं इसके लिए सरकार द्वारा "हिमाचल प्रदेश कौशल विकास

निगम" की स्थापना की गई है जिसका उद्देश्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से बेरोजगार युवाओं को व्यवसायिक शिक्षा में प्रशिक्षित किया जाना है। इसके लिए सरकार द्वारा एशियन डिवेल्पमैंट बैंक से 640 करोड़ रुपये की परियोजना हेतु स्वीकृति प्रदान कर ली गई है जिसके अन्तर्गत आगामी पाँच वर्षों में एक लाख बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा।

7. उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2015–16 से योजना सहायता जिसमें प्रदेश को प्राप्त होने वाली सामान्य केन्द्रीय सहायता (Normal Plan Assistance), विशेष केन्द्रीय सहायता (Special Plan Assistance) तथा विशेष योजना सहायता (Special Plan Assistance) भी शामिल हैं और कुछ केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अन्तर्गत सहायता बन्द कर दी गई हैं। योजना आयोग के बन्द होने से प्रदेश को सामान्य केन्द्रीय सहायता, विशेष केन्द्रीय सहायता तथा विशेष योजना सहायता के अन्तर्गत मिलने वाली लगभग 3000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष की योजना सहायता बन्द हो गई है।

8. माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने यह भी बताया कि हालांकि प्रदेश सरकार के प्रयासों से अधिकांश केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में केन्द्रीय तथा राज्य सरकार की भागीदारी क्रमशः 90:10 के अनुपात में सुनिश्चित हुई है परन्तु केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के वर्ष 2015–16 के परिव्ययों में भारी कटौती की गई है। इसके फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश को भी चालू वित्तीय वर्ष में इन स्कीमों के अन्तर्गत कम राशि प्राप्त हुई है। इसी के साथ माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने राज्य योजना बोर्ड के सदस्यों से अनुरोध किया कि वे चर्चा के दौरान प्रस्तावित योजना आकार, प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने, संसाधनों को जुटाने, मितव्ययता के उपाय सुझाने, बेहतर प्रशासन प्रदान करने तथा पूंजी निर्माण के लिए अपने बहुमूल्य एवं सकारात्मक सुझावों से सरकार को अवगत करवाएं।

9. इसके पश्चात अतिरिक्त मुख्य सचिव (योजना) द्वारा राज्य योजना 2016–17 के मुख्य बिन्दुओं पर पॉवर प्वाइंट

प्रेजेंटेशन प्रस्तुत की गई जिसमें प्रदेश के विकास की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। उन्होंने वार्षिक योजना 2016–17 के मुख्य घटकों, क्षेत्रीय प्राथमिकताओं, भौतिक लक्ष्यों तथा बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए प्रस्तावित परिव्ययों का भी ब्यौरा दिया। अतिरिक्त मुख्य सचिव (योजना) द्वारा राज्य सरकार के समक्ष चुनौतियों को भी राज्य योजना बोर्ड के सदस्यों के आगे रखा गया। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा बाहरवीं पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकताओं तथा सरकार की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए वार्षिक योजना 2016–17 का प्रारूप तैयार किया गया है।

10. श्री जी.एस. बाली, माननीय परिवहन मंत्री ने बताया कि सड़कों के किनारे प्रतिदिन किसी न किसी विभाग द्वारा खुदाई का काम चलता रहता है जिससे यातायात में काफी असुविधा रहती है। उन्होंने सुझाव दिया कि इसके लिए आवश्यक है one time trenches तैयार किए जाएं और यह कार्य Built, Operate and Transfer (BOT) के आधार पर किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में Independent Power Producers (IPPs) को विद्युत परियोजनाओं को पूरा करने के लिए extension दी जा रही है, इसके लिए extension fee का ढांचा निर्धारित होना चाहिए ताकि यह प्रक्रिया पारदर्शी रहे। इस विषय पर अतिरिक्त मुख्य सचिव (विद्युत) ने स्पष्ट किया कि अगर कोई Independent Power Producer निर्धारित समयावधि में विद्युत परियोजना का कार्य पूर्ण नहीं कर पाता है तो सम्बन्धित निवेशक से 10,000/– रूपये प्रतिमाह प्रति मेघावाट की दर से extension fee चार्ज की जाती है । इसके अतिरिक्त नियमों के अन्तर्गत व्याज, जुर्माना तथा दण्ड का भी प्रावधान है।

11. उन्होंने बाहरवीं कक्षा के उपरान्त बच्चों के drop out rate का मुद्दा भी उठाया । इस सम्बन्ध में अतिरिक्त मुख्य सचिव (शिक्षा) ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में ग्यारहवीं तथा बाहरवीं कक्षाओं का enrolment rate 85 प्रतिशत है। इसमें से केवल 30 प्रतिशत बच्चे ही कॉलेज प्रवेश करते हैं। इसका कारण है कि बाहरवीं कक्षा के बाद बच्चों के सामने शिक्षा एवम् रोज़गार के बहुत से अन्य विकल्प रहते हैं। इसके बावजूद भी प्रदेश की Gross Enrolment ratio अन्य राज्यों की तुलना में

ज्यादा है। सरकार का पूरा प्रयास है कि वर्तमान enrolment rate को बढ़ाया जाए, विशेषकर कॉलेज में लड़कियों के enrolment rate को 50 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है।

12. श्री कुलदीप सिंह पठानिया, माननीय गैर सरकारी सदस्य ने मामला उठाया कि प्रदेश में संसाधनों की कमी है जबकि वेतन इत्यादि पर खर्च अधिक है। उन्होंने प्रदेश में संसाधन बढ़ाने हेतु अधिक प्रयास करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में विद्युत दोहन, संसाधन का मुख्य स्रोत है परन्तु वर्तमान परिपेक्ष्य में विद्युत विक्रय से उतनी आय नहीं हो पा रही है जितनी कुछ वर्ष पहले हुआ करती थी जबकि प्रदेश में विद्युत उत्पादन में बढ़ौतरी हुई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2003 में प्रदेश में विद्युत उत्पादन से 1600 करोड़ की आय थी जबकि वर्तमान में यह घटकर 600 करोड़ तक सीमित हो गई है। इस सम्बन्ध में माननीय मुख्यमन्त्री महोदय ने बताया कि प्रदेश में विद्युत उत्पादन में कमी नहीं आई है अपितु बढ़ौतरी हुई है। उन्होंने बताया कि 6 वर्ष पूर्व प्रदेश 6 या 7 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली बेचता था परन्तु अब यह दर घटकर 3 रुपये तक सीमित हो गई है । उन्होंने आशा व्यक्त की कि भविष्य में उद्योगों की बढ़ौतरी होने पर विद्युत की मांग बढ़ेगी तथा प्रदेश को और अधिक आय प्राप्त होगी। श्री पठानिया ने सुझाव दिया कि प्रदेश में विकास की गति को बढ़ाने हेतु बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के दोहन पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

13. श्री डी.के. शर्मा, गैर सरकारी सदस्य ने अतिरिक्त मुख्य सचिव (योजना) द्वारा प्रस्तुत प्रदेश की आय तथा व्यय की स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार अगर प्रतिवर्ष राजस्व व्यय में बढ़ौतरी करती रहेगी तो पूंजीगत व्यय में कटौती होगी तथा इससे existing infrastructure को सशक्त बनाने के लिए बहुत कम धनराशि बचेगी। उन्होंने प्रदेश की प्राप्तियों एवं व्यय की निगरानी हेतु प्रदेश के वरिष्ठ मंत्रियों एवं अधिकारियों के एक छोटे समूह के गठन का सुझाव दिया जो प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर नजर रख सके।

14. उन्होंने बताया कि यह प्रशंसनीय है कि सरकार ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012–2017) के अन्तर्गत प्रस्तावित परिव्ययों को लगभग पूरी तरह खर्च कर लिया है। जो थोड़ी बहुत कमी रही है उसका कारण पिछले वर्षों में प्रचलित inflation trend तथा कुछ क्षेत्रों के भौतिक लक्ष्यों में की गई कटौती की वजह से है जिसमें समाजिक क्षेत्र भी शामिल है। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में केन्द्र सरकार से केवल वही सहायता प्रदेश सरकार को प्राप्त होगी जिसकी सिफारिशें चौहदवें वित्तायोग द्वारा की गई हैं।

15. श्री डी.के. शर्मा, गैर सरकारी सदस्य ने निवेश का मामला उठाते हुये कहा कि हमें पड़ोसी राज्यों की तर्ज पर निजी क्षेत्र में निवेश को अधिक बढ़ावा देना होगा क्योंकि दूरस्थ एवं पहाड़ी राज्य होने के नाते हिमाचल के लिए निजी क्षेत्र द्वारा निवेश हेतु कई चुनौतियां हैं। उन्होंने अभिनव रणनीति (innovative strategy) अपनाने पर बल दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि हमें भविष्य में सब्सिडी एवं निवेश पर ही ध्यान नहीं देना होगा बल्कि गुणवत्ता सुधार की ओर भी अधिक ध्यान देना होगा।

16. उन्होंने प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र में हुए विकास की प्रशंसा करते हुए सुझाव दिया कि मुख्यमंत्री महोदय द्वारा गठित स्वास्थ्य आयोग ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट दी है जिसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाना चाहिए । शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने quality of employability पर बल देने का सुझाव दिया। उन्होंने बताया कि बागवानी के क्षेत्र में प्रदेश की प्रति हैक्टेयर उत्पादकता पड़ोसी राज्यों जैसे कि जम्मू और कश्मीर, उत्तराखण्ड की तुलना में बहुत कम है जिसे बढ़ाने हेतु उचित कदम उठाने की सख्त आवश्यकता है।

17. उन्होंने कहा कि यह सही है कि प्रदेश में सड़कों का भरपूर विस्तार हुआ है, परन्तु सड़क निर्माण की गुणवत्ता तथा इनकी समय समय पर मुरम्मत पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

18. श्री डी.के. शर्मा ने बताया कि प्रदेश में विभिन्न सिंचाई स्कीमों के अन्तर्गत अभी तक कुल 2.63 लाख हैक्टेयर क्षेत्र के लिए सिंचाई व्यवस्था की गई है । उन्होंने सुझाव दिया कि प्रदेश में इस infrastructure के और अधिक विस्तार की बजाए

हमें innovative and water efficient irrigation systems की ओर ध्यान देना चाहिए।

19. उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल एवम sanitation की व्यवस्था काफी ठीक है तथा पूर्णतया विकेन्द्रीकृत है परन्तु शहरी क्षेत्रों में sanitation व्यवस्था को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। उन्होंने शहरी क्षेत्र में सिवरेज ट्रीटमेंट की ओर विशेष ध्यान देने का सुझाव दिया ताकि अभी हाल ही में सामने आई पीलिया जैसी महामारी का सामना हमारे शहरी क्षेत्र भविष्य में न करे। उन्होंने विद्युत क्षेत्र की उपलब्धियों की सराहना की तथा बताया कि प्रदेश में घरेलू एवम् औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली की खपत बढ़ी है जो कि विद्युत विभाग की उपलब्धियों को दर्शाता है।

20. श्री विनोद सुल्तानपुरी, गैर सरकारी सदस्य ने बताया कि धर्मपुर–कसौली मार्ग पर बहुत से होटल हैं जो सरकार को करोड़ों रुपये का कर अदा कर रहे हैं। इन होटलों को केवल साढ़े तीन मंजिल तक होटल निर्माण करने की अनुमति नगर एवं ग्राम योजनाकार विभाग द्वारा प्रदान की गई है जो कि एक Commercial Activity के लिये पर्याप्त नहीं है। उन्होंने इन होटलों के लिये कम से कम 6 मंजिल तक निर्माण की अनुमति प्रदान करने का सरकार से अनुरोध किया। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि इसे सारे राज्य में लागू किया जाता है तो सरकार के राजस्व में करोड़ों रुपये का इजाफा होगा। इस सम्बन्ध में मुख्यमंत्री महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि इस मसले पर ग्राम एवं नगर योजनाकार विभाग उचित पग उठाये तथा ऐसे व्यवसायिक संस्थानों/होटलों के लिये बहुमंजिला भवन निर्माण हेतु नियमों में संशोधन हेतु आगामी कार्रवाई करे ताकि structural stability को सुनिश्चित किया जा सके ।

21. माननीय सदस्य ने दूसरा मुद्दा ऑटो रिक्शा चालकों से सम्बन्धित उठाया। उन्होंने बताया कि धर्मपुर और कसौली क्षेत्र के कई ऑटो रिक्शा चालकों ने अपने पुराने डीज़ल इंजन वाले ऑटो रिक्शा को इलैक्ट्रिक ऑटो रिक्शा में तबदील करवा लिया है परन्तु परिवहन विभाग उनके ऑटो रिक्शा का पंजीकरण नहीं कर रहा है। इस कारण उनकी आजीविका का साधन सकते में आ गया है। श्री जी.एस. बाली, परिवहन मंत्री ने बताया कि इस प्रकार के वाहन के पंजीकरण का

मोटर व्हीकल एक्ट में कोई प्रावधान नहीं है । उन्होंने यह भी बताया कि विभाग द्वारा यह मामला सम्बन्धित प्राधिकरण के साथ भी उठाया गया है। माननीय गैर सरकारी सदस्य ने शिक्षा में गुणवत्ता लाने हेतु स्कूलों में बायोमीट्रिक सिस्टम से हाजिरी लगाने का सुझाव दिया जो कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्वीकार किया। अतिरिक्त मुख्य सचिव (शिक्षा) ने बताया कि इस सन्दर्भ में विभाग पहले ही कार्रवाई कर रहा है।

22. प्रदेश विश्वविद्यालय के उप कुलपति प्रो0 ए0डी0एन0 वाजपेयी ने हिमाचल प्रदेश में नियोजन प्रक्रिया को जारी रखने हेतु बधाई दी। उन्होंने प्रदेश में जनशक्ति नियोजन पर बल देने हेतु सुझाव दिया। उन्होंने श्री डी0के0 शर्मा गैर सरकारी सदस्य द्वारा क्षेत्रीय नियोजन के लिए दिए गए सुझाव का समर्थन करते हुए कहा कि क्षेत्रीय नियोजन के लिए आवश्यक है कि हम भी दूसरे राज्यों की तर्ज पर इनपुट–आउटपुट तालिका तैयार करें जिससे यह ज्ञात हो सके कि किस सैक्टर का flow किधर जाएगा। इस प्रयोग के लिये उन्होंने राज्य सरकार के साथ काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने बताया कि सरकार ने विश्वविद्यालय को घणाहटी के नजदीक 150 बीघा भूमि प्रदान की है परन्तु दो वर्ष बीत जाने के बावजूद भी अभी तक यह भूमि विश्वविद्यालय को हस्तांतरित नहीं हुई है जिसे प्राथमिकता के आधार पर विश्वविद्यालय को हस्तांतरित किया जाए। इस पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने वन विभाग को इस मामले को तुरंत सुलझाने के निर्देश दिये।

23. श्री जगजीवन पॉल, गैर सरकारी सदस्य ने सुझाव दिया कि लिंग अनुपात को नियंत्रित करने हेतु क्षेत्रीय कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिये जाएं कि वे समय–समय पर गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण करे ताकि गर्भपात को बढ़ावा न मिल सके । उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्रों में गर्भपात जैसी कुरीतियां पनप रही हैं इन्हें रोका जाना आवश्यक है ताकि लिंग अनुपात में समरूपता बनी रहे। उन्होंने प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये पर्यटकों को आवश्यक सुविधायें उपलब्ध करवाने हेतु सुझाव दिया ताकि प्रदेश में अधिक से अधिक पर्यटक आ सकें। इसके लिये उन्होंने प्रस्तावित रज्जुमार्गों के युद्ध स्तर पर निर्माण, सड़कों

की स्थिति में सुधार, हैली टैक्सी सेवा प्रदान करना, बी.ओ.टी के आधार पर हैलीपैड निर्माण आदि की ओर विशेष ध्यान देने हेतु सुझाव दिया।

24. श्री विजय सिंह मनकोटिया, गैर सरकारी सदस्य ने प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि अन्य सैक्टरों के मुकाबले पर्यटन सैक्टर को वार्षिक योजना 2016–17 में कम बजट परिव्यय प्रस्तावित किया गया है जिसे बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि संयोग से प्रदेश में वह सभी प्राकृतिक सम्पदा उपलब्ध है जो कि पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। चाहे हम अपने देश की बात करें या विदेश की, पर्यटन एक highest performing sector है जो कि रोजगार के अवसर भी प्रदान कर रहा है तथा अर्थव्यवस्था के लिए राजस्व का भी स्त्रोत है। उन्होंने प्रदेश में पर्यटकों की सुविधा हेतु सड़कों की दशा सुधारने, रेल कनेक्टीविटी, हैली टैक्सी, हैलीपैड निर्माण इत्यादि सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु अधिक से अधिक प्रयास करने का सुझाव दिया। माननीय गैर सरकारी सदस्य ने यह भी बताया कि आज के परिवेश में किसी भी राज्य के विकास में Corporate Social Responsibility का विशेष योगदान रहता है। गत वर्ष की बैठक में भी उन्होंने यह मुद्दा उठाया था। उन्होंने बताया कि विशेष औद्यौगिक पैकेज के परिणामस्वरूप प्रदेश में बहुतायात में उद्योगों की स्थापना हुई है तथा निसंदेश विकास एवं रोजगार को बढ़ावा मिला है परन्तु इन स्थापित औद्योगिक इकाईयों का प्रदेश के विकास में सहयोग अभी तक नगण्य ही रहा है जबकि कुल लाभ का 2 प्रतिशत प्रदेश के विकास में खर्च किया जाना होता है। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रदेश सरकार को इन औद्योगिक इकाईयों को CSR मानदण्डों को अपनाने हेतु निर्देश जारी करने चाहिए।

25. श्री राम लाल ठाकुर, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय योजना, विकास एवं 20–सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति ने सूचित किया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में शौचालयों का निर्माण किया गया है परन्तु उनके रख–रखाव की उचित व्यवस्था नहीं की गई है । जहां पर सफाई कर्मचारियों के पद सृजित भी है वहां उनकी सेवानिवृति उपरान्त यह पद नहीं भरे जा रहे हैं क्योंकि इस कॉडर को डाईंग कॉडर घोषित कर दिया गया है। सफाई कर्मचारियों के

अभाव में इन शिक्षण संस्थानों में गन्दगी फैल रही है। उन्होंने सुझाव दिया कि स्कूलों में सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था की जानी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आदेश दिये कि शिक्षा विभाग इस सम्बन्ध में विस्तृत रिपोर्ट तैयार करके सरकार को भेजे ताकि इस बारे उचित कार्रवाई की जा सके। माननीय अध्यक्ष ने यह भी सूचित किया कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण प्रदेश के अधिकतर स्त्रोत सूखने के कगार पर हैं या सूख चुके हैं। विभिन्न इलैक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से अकसर यह कहा जा रहा है कि 2025 तक जलस्तर काफी नीचे चला जाएगा परिणामस्वरूप भविष्य में पानी की कमी का सामना प्रदेश को भी करना पड़ सकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि अभी से ही सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग दीर्घकालिक योजना तैयार कर इस समस्या से निपटने हेतु पग उठाये। उन्होंने आनंदपुर साहिब से नयना देवी जी मन्दिर तक बनने वाले रोप–वे का मसला उठाते हुये कहा कि प्रस्तावित रोप–वे आनंदपुर साहिब के स्थान पर हिमाचल प्रदेश में पड़ने वाले टोबा, जो कि आनंदपुर साहिब से मात्र 175 मीटर की दूरी पर है, नामक स्थान से बनाया जाना चाहिए ताकि उस पर प्रदेश सरकार का नियंत्रण रहे। इस विषय पर अतिरिक्त मुख्य सचिव (पर्यटन) ने स्पष्ट किया कि इस रोप–वे परियोजना की निविदायें दो बार आमंत्रित की जा चुकी हैं परन्तु कोई भी पार्टी इसके लिए आगे नहीं आई है। अतः इस परियोजना के लिए एक बार पुनः निविदायें आमंत्रित की गई हैं।

26. बैठक के अन्त में हिमाचल प्रदेश राज्य योजना बोर्ड ने वर्ष 2016–17 की 5200 करोड़ रुपये की योजना को अनुमोदित किया।

27. बैठक का समापन करते हुये मुख्य सचिव ने माननीय मुख्यमंत्री एवम् मंत्री परिषद तथा राज्य योजना बोर्ड के अन्य सदस्यों का बैठक में भाग लेने पर धन्यवाद किया तथा आश्वस्त किया कि योजना के समस्त कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य प्रशासन सभी प्रयास करेगा।

*****